न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

अपील सं0 06/2022 रसद
प्राथमिक महिला बहुउददेशीय सहकारी समिति खेडला खुर्द तहसील लालसोट जरिये अध्यक्ष गुडडी देवी उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत खेडलाखुर्द तहसील लालसोट जिला दौसा

..अपीलांट

बनाम

जिला रसद अधिकारी दौसा जिला दौसा

..रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 22 राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ का विनियमन आदेश 1976 एवं जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3.1.2014 अभियोग संख्या 9791/2014

उपस्थित–1. श्री डी0पी0 सैनी, अधिवक्ता अपीलांट पक्ष
2. श्री प्रहलाद मीना, प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक: 22.06.2022

अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 3.1.2014 को निरस्त कर दिया। जिला रसद अधिकारी दौसा के प्राधिकार पत्र निरस्ती आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। जिला रसद अधिकारी दौसा से मूल अभिलेख मंगवाया गया।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट से उचित मूल्य सामग्री के वितरण हेतु प्राधिकार पत्र ले रखा है। रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट को ग्राम पंचायत खेडाला खुर्द के उचित मूल्य सामग्री वितरण हेतु एफ0पी0एस0 डीलर नियुक्त कर रखा है। संस्था उक्त प्राधिकार पत्र के तहत नियमानुसार अपने वितरण क्षेत्र में रेस्पोडेन्ट द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली राशन सामग्री का वितरण करती आ रही है। संस्था के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं होने के बावजूद जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा दिनांक 3.1.2014 को बिना आधार व आरोपों के समिति का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया। प्राधिकार पत्र निरस्त करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया गया व बिना सुनवाई किये संस्था का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया। जिला रसद अधिकारी दौसा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.1.2014 विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। संस्था के विरूद्ध किसी भी उपभोक्ता की कोई शिकायत नहीं है। संस्था इमानदारी से उपभोक्ताओं को वस्तुओं का वितरण करती रही है फिर भी जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा संस्था का बिना आधार के प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। अपीलांट को प्राप्त दस्तावेजों से पता चला है कि तत्कालीन अध्यक्ष प्राथमिक महिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.23 10:52:47 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर 2पर

Web Copy - Not Official

बहुउददेशीय सहकारी समिति खेडला खुर्द की अध्यक्ष संतरा देवी थी तथा उसके पति हेमराज मीना भी उसी ग्राम पंचायत में उचित मूल्य दुकानदार थे। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा दिनांक 5.11.2012 के तहत तत्काल प्रभाव से हेमराज व संस्था दोनों की आपूर्ति रोक दी गई थी। दिनांक 3.1.2014 को इस आदेश को निरस्त कर हेमराज मीना का प्राधिकार पत्र पुनः बहाल कर दिया जबकि बिना किसी कारण के अवैध रूप से प्राथमिक महिला बहुउददेशीय सहकारी समिति खेडला खुर्द का प्राधिकार पत्र संख्या 11/2010 को दिनांक 3.1.2014 को निरस्त कर दिया गया। प्राथमिक महिला बहुउददेशीय सहकारी समिति खेडला खुर्द स्वयं एक संस्था है, उसकी अध्यक्ष की समिति व्यक्तिगत नहीं है। इसलिए तत्कालीन अध्यक्ष संतरा देवी के पति के भी उचित मूल्य दुकानदार होने के कारण सहकारी समिति का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है, जो अवैधानिक है। श्रीमती संतरा को अध्यक्ष पद से हटे काफी समय हो गया है। वर्तमान कार्यकारिणी संस्था का ग्राम के किसी भी उचित मूल्य दुकानदार से कोई संबंध नही है। समिति अपना प्राधिकार पत्र जो अकारण निरस्त किया गया है उसे बहाल कराकर उचित मूल्य दुकान का कार्य करना चाहती है। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उचित मूल्य की दुकान आवंटन में प्राथमिकता निर्धारित की गई है और महिला सहकारी समिति को आवंटन सलाहकार समिति के साक्षात्कार से उन्मुक्ति के लिए संशोधित आदेश दिनांक 6.3.2013 जारी किया गया है। प्राथमिक महिला बहुउददेशीय सहकारी समिति खेडला खुर्द महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करना चाहती है। संस्था के विरूद्ध बिना जवाब दिये एवं बिना सुनवाई किये एकतरफा कार्यवाही करते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। संस्था के प्राधिकार पत्र को निरस्त करने की भी कोई सूचना नहीं दी गई। संस्था द्वारा पुनः सुचारू रूप से कार्य करने हेतु जिला रसद कार्यालय में संपर्क किया तो उसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। वर्तमान कार्यकारिणी उचित मूल्य दुकानदार खेडला खुर्द वितरण का कार्य करना चाहती है। परन्तु प्राधिकार पत्र निरस्त होने की जानकारी होने पर दिनांक 3.3.2022 को नकल लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी नकल प्रति प्राप्त होने पर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर जिला रसद अधिकारी दौसा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.1.2014 को निरस्त फरमाया जावे एवं संस्था का प्राधिकार पत्र बहाल कर रसद वितरण आदेश पाारित करने की कृपा करावें।

विभागीय पैरोकार सरकार की बहस में दलील है कि प्राथमिक महिला बहुउददेशीय सहकारी समिति खेडला खुर्द की अध्यक्ष ने जिला रसद अधिकारी कार्यालय दौसा में प्रार्थना पत्र पेश करके निवेदन किया है कि समिति उचित मूल्य दुकान का कार्य नहीं करना चाहती है। अतः समिति को पी0डी0एस0 कार्य से कार्यमुक्त कर किसी अन्य उचित मूल्य दुकानदार को कार्य करने हेतु अधिकृत किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रर्वतन निरीक्षक लालसोट द्वारा समिति से कार्य हटाने हेतु अनुशंषा की गई थी। जिसके आधार पर जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा समिति का प्राधिकार पत्र संख्या 11/2010 को दिनांक 3.1.2014 को निरस्त किया गया था। समिति का प्राधिकार पत्र दिनांक 3.1.2014 को निरस्त किये जाने पर समिति को उसकी जानकारी दिनांक 3.3.2022 को अवगत कराया गया है। प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने की जानकारी 8 वर्ष बाद होना संदेहास्पद लगता है। अतः समिति द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर ही निरस्त की जाने के आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.23 10:52:47 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर 3पर

अपील सं0 06/2022 रसद

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.1.2014 के द्वारा प्राथमिक महिला बहुउददेशीय सहकारी समिति द्वारा उचित मूल्य दुकान का कार्य नहीं करने के फलस्वरूप समिति का प्राधिकार पत्र संख्या 11/2010 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। अधीनस्थ कार्यालय जिला रसद अधिकारी दौसा से प्राप्त मूल अभिलेख में खेडला खुर्द प्राथमिक महिला बहुउददेशीय सहकारी समिति का प्रार्थना पत्र दिनांक 19.12.2013 जो कि जिला रसद अधिकारी दौसा को संबोधित है, में अंकन किया गया है कि समिति के पास पी0डी0एस0 खाधान्न का कार्य करने का समय नहीं है। इसलिए समिति पी0डी0एस0 कार्य नहीं करना चाहती है। अतः समिति से पीडीएस खाधान्न का कार्य बंद करने का निवेदन किया गया है। अपीलांट द्वारा व्यक्त किया गया है कि समिति का प्राधिकार पत्र दिनांक 3.1.2014 को निरस्त किया गया है जिसकी जानकारी समिति को दिनांक 3.3.2022 को हुई है। हम अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर नहीं किया जाकर मियाद के बिन्दु पर अपील का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। मियाद के बिन्दु पर अपीलांट ने अवगत कराया है कि जिला रसद अधिकारी दौसा के अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 3.3.2022 को हुई है जो कि 8 वर्ष से अधिक समय गुजर गया है। समिति द्वारा स्वयं ही पी0डी0एस0 कार्य करने में रूचि नहीं होने से प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जिसकी जानकारी होने में समिति को 8 वर्ष से अधिक समय लगा। हम मियाद के बिन्दु पर ही अपील अपीलांट खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.1.2014 यथावत रखा जाता है। जिला रसद अधिकारी दौसा का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक: 22 जून 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.23 10:52:47 IST
Reason: SelfAttested